

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार पटना।
आदेश

सं० सं०-4/लोकायुक्त-33-04/2017 652(4) पटना, दिनांक- 7/6/18

श्री अजय कुमार यादव बनाम श्री विपीन बिहारी वर्मा एवं सिविल सर्जन, सारण से संबंधित मामले में माननीय लोकायुक्त बिहार, पटना द्वारा दिनांक-25.10.2017 के निर्देश के आलोक में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में 10 वर्ष एवं उससे अधिक अवधि से कार्यरत लिपिकों को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ 4 में अंकित संस्थान में पदस्थापित किया जाता है:-

क्रम सं०	नाम	पदस्थापित संस्थान का नाम	नव पदस्थापित संस्थान
1	2	3	4
1	श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंह	दरभंगा मेडिकल कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा	श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर
2	श्री अभिषेक कुमार सिन्हा	अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया	पटना मेडिकल कॉलेज, पटना
3	श्री रवि राज कुमार	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर	दरभंगा मेडिकल कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा
4	श्री संजय कुमार ठाकुर	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर	पटना मेडिकल कॉलेज, पटना
5	श्री भुवनेश्वर सहनी,	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर	पटना मेडिकल कॉलेज, पटना
6	श्री नवीन कुमार, टंकक	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर	पटना मेडिकल कॉलेज, पटना
7	श्री किशोर कुणाल	नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना	श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर
8	श्री संजय कुमार	पटना मेडिकल कॉलेज, पटना	पटना दंत महाविद्यालय अस्पताल, पटना
9	श्री बिपिन कुमार	पटना मेडिकल कॉलेज, पटना	पटना दंत महाविद्यालय अस्पताल, पटना
10	श्री राकेश कुमार	पटना मेडिकल कॉलेज, पटना	नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना
11	श्री अनिल कुमार	पटना मेडिकल कॉलेज, पटना	श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर
12	श्री सूर्य प्रकाश मेहता	पटना मेडिकल कॉलेज, पटना	श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर
13	श्री कृष्ण कुणाल (बैक्ट्रीयोलाजिकल विभाग)	पटना मेडिकल कॉलेज, पटना	अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया
14	श्री आयुश कुमार	पटना दंत महाविद्यालय अस्पताल, पटना	पटना मेडिकल कॉलेज, पटना

652(4)
7/6/18

15	राम प्रवेश सिंह	पटना दंत महाविद्यालय अस्पताल, पटना	पटना मेडिकल कॉलेज, पटना
----	-----------------	---------------------------------------	----------------------------

2. उक्त स्थानान्तरण से वरीयता अक्षुण्य रहेगी।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
4. स्थानान्तरित लिपिकों का माह जून 2018 का वेतन भुगतान नव पदस्थापित संस्थान से किया जायेगा।

(डॉ० चन्द्रमोहन झा)

निदेशक प्रमुख,

(परिवार कल्याण, मातृशिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना

सं०सं०-4/लोकायुक्त-33-04/2017.....652(4) /स्वा०, पटना, दिनांक- 2/6/18

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (परिवार कल्याण, मातृशिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग) के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी-4 को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—संबंधित प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशित है कि आदेश निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अंदर विरमित करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा एक सप्ताह के उपरांत स्वतः विरमित समझे जाएंगे।

प्रतिलिपि—संबंधित लिपिकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(डॉ० चन्द्रमोहन झा)
07/06/18
निदेशक प्रमुख,

(परिवार कल्याण, मातृशिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना